भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

म्युटेशन अपील वाद सं0 03/2024-25

श्रीमति आभा देवी

बनाम्

विशेश्वर वाजपेयी एवं अन्य

-:आदेश:-

30/10/2025

वर्त्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता आभा देवी पति- स्व0 सुशील कुमार दूवे, सा0- बंदनवार, अंचल- पथरगामा, जिला- गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है।

अपीलकर्त्ता ने अंचल अधिकारी, पथरगामा के नामांतरण वाद सं0- 98/1972-73 के आदेश दिनांक- 02.06.1972 जिसके द्वारा मौजा- श्रीपुर नं0 199 के जमाबंदी सं0- 08, दाग नं0- 01, रकवा- 01-00-16 धूर एवं दाग नं0- 13, रकवा- 00-19-04 धूर जमीन का नामांतरण चन्द्रकांत वाजपेयी पे0- स्व0 लखीचरण वाजपेयी, सा0- बंदनवार, अचंल- पथरगामा, जिला- गोड्डा के नाम से किया गया है को रद्द करने के लिए अपील आवेदन दाखिल किया है।

अपीलकर्त्ता के लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित रहने के कारण उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना एवं अभिलेख बद्व कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता की ओर से दाखिल अपील आवेदन में उल्लेख है कि मौजा- श्रीपुर थाना नं0 199, जमाबंदी सं0- 08, दाग नं0- 01 एवं 13 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत मो0 गायंवती के नाम से दर्ज है लेकिन दाग नं0- 01, रकवा- 01-00-16 धूर जमीन के दखल कॉलम में मो0 गायंवती बेटी रैयत एवं दाग नं0- 13 रकवा- 00-19-14 धूर जमीन के दखल कॉलम में चन्द्रकांत वाजपेयी नाती रैयत के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत मो0 गायंवती को दो पुत्री मैनावती वो गेनावती हुए। मैनावती का पुत्र चन्द्रकांत वाजपेयी है। चन्द्रकांत वाजपेयी अपने पीछे एक विशेश्वर वाजपेयी उत्तरवादी को छोड़कर फौत कर गये।

गेनावती को एक पुत्र चन्द्रशेखर दूवे हुए। चन्द्रशेखर दूवे अपनी पीछे दो पुत्र सुशील कुमार दूवे एवं कंचन दूवे को छोड़कर फौत कर गये है। अपीलकर्त्ता सुशील कुमार दूवे की पत्नि है।

अपील आवेदन में आगे उल्लेख किया गया है कि गत जमाबंदी रैयत की पुत्री का अलग-अलग जमीन पर दखल है फिर भी उत्तरवादी के पूर्वज चन्द्रकांत वाजपेयी ने संपूर्ण जमाबंदी की जमीन का अपने नाम से नामांतरण कराया गया। इसलिए नामांतरण नियम संगत नहीं है। उन्होंने नामांतरण को रद्द करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, पथरगामा के नामांतरण वाद सं0- 98/1972-73 के आदेश दिनांक- 02.06.1972 के विरूद्ध लंबी अवधि के बाद अपील दायर किया गया है। यद्यपि कि अपीलकर्त्ता की ओर से विलंब अवधि को क्षांत करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत् आवेदन दिया गया है, लेकिन अपीलकर्त्ता विलंब की वास्तविक अवधि एवं उसके कारणों को स्पष्ट रूप से बताने में विफल रहा है। दाखिल आवेदन में विलंब के लिए सटीक समय सीमा के संबंध में स्पष्टता का अभाव है और जहाँ विलंब के कारण स्पष्ट नहीं हैं तथा अपीलकर्त्ता के द्वारा वास्वतिक स्पष्ट कारण आवेदन में नहीं दर्शाया गया हो तो लंबी अवधि के वाद अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करना नियम संगत नहीं है। इसलिए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं अभिलेख बद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विषयगगत नामांतरण वाद सं0- 98/1972-73 में दिनांक- 02.06.1972 को नामांतरण आदेश पारित किया गया है।

उक्त आदेश के विरूद्ध लंबी अवधि के वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा दिनांक- 24.09.2024 को अपील वाद दायर किया गया है। यद्यपि कि अपीलकर्त्ता के द्वारा अपील आवेदन के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत् आवेदन तो दाखिल किया गया है लेकिन कालवाधित अवधि को क्षांत करने के लिए आवेदन में पर्याप्त कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।

Uploaded 30/10/2025

इस प्रकार वर्त्तमान अपील वाद कालवाधित है जिसे स्वीकार करना युक्ति युक्त प्रतीत नहीं होता है। अतएव अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पथरगामा को भेजें।

लिखाया एवं शुद्ध किया गया।

30/10/25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

30/10/25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

Digitally signed by RITESH JAISWAL
Date: 2025.11.07 10:49:24 +05:30
Location: 192.168.29.7

SCAN AnyScanner